न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 16/2022

G.C.M.S. Number : 2022/13

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. रामलाल, पकाराम, अशोक पुत्रगण नवाराम जी जातिगण देवासी, निवासी लाटाड़ा तह–बाली जिला–पाली राज.		1. हल्का पटवारी लाटाड़ा तह–बाली जिला पाली
2. भूराराम पुत्र रावताराम, धापु पत्नी रावताराम कस्तु, सुखी ओटो पुत्रियां स्व. रावताराम जातिगण देवासी निवासी लाटाड़ा तह–बाली जिला पाली राज.		2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली जिला पाली राज.
3. प्रभुराम, शिवलाल, पीराराम, पुनाराम पुत्रगण लखमाराम जातिगण देवासी निवासी–लाटाड़ा तह–बाली जिला पाली		

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 बसिलसिले प्रकरण संख्या 11/2022 अनवान सरकार बनाम कस्तु पुत्री रावताराम वगैराह निर्णय दिनांक 04.07.2022 न्यायालय तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :– अधिवक्ता अपीलाण्ट्स उपस्थित

–: निर्णय:–

दिनांकः 09.04.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट रामलाल व अन्य ने अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत एक अपील प्रस्तुत की जिसके अनुसार अपीलांट के विरुद्ध पटवार हल्का लाटाड़ा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा सादडा पटवार मंडल लाटाड़ा की सरहद में खसरा नंबर 113, 114, 111, व 105 रकबा 0.1900 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन वाली, गैर मुमकीन रास्ता व गैर मुमकीन खड्डा पर अपीलांट द्वारा संवंत 2078 में अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर रेस्पोडेंट तहसीलदार,बाली द्वारा अपीलांट के विरुद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की। तत्पश्चात बिना अपीलांट को सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश पारित किये गए तथा वार्षिक लगान रुपये 1 का 50 गुना 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट ने अपनी अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को मनमाना, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित पारित करना बताया एवं अपीलांट को उचित सुनने का अवसर व समय दिए बगैर बिना कानुनी प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त योग्य होना बताया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी प्रस्तुत लिखित बहस में बताया कि उक्त भूमि पर अपीलांट का पीढीयों से खातेदारी/कब्जा है। भूप्रबंध के समय विभागीय गलती से राजकीय दर्ज कर दिया गया अतः अपीलांट अतिक्रमी नहीं है न्यायोचित निस्तारण किया जावें।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किए गए। तहसीलदार, बाली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल रेकर्ड प्रस्तुत किया गया था उक्त मूल रेकर्ड का मिलान कर प्रमाणित प्रतियां शामिल पत्रावली की गई। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों एवं

CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का गहनता से अध्ययन किया। तदुपरांत इस निर्णय पर पहूंचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 113, 114, 111, व 105 रकबा 0.1900 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन वाली, गैर मुमकीन रास्ता व गैर मुमकीन खड्डा पर अतिक्रमण बताते हुए निर्णय पारित किया है जो कि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आता है। पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर दिया गया है। अपीलांट ने अपील में यह कथन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा सीमाकंन स्पष्ट रुप से नहीं किया गया है। जबकि तहसीलदार, द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का, की फर्द से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 113, 114, 111, व 105 रकबा 0.1900 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन वाली, गैर मुमकीन रास्ता व गैर मुमकीन खड्डा भूमि पर खातेदारी भूमि के समीप होने से स्वयं की खातेदारी भूमि में मिलाकर तारबंदी कर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के संदर्भ में अपीलांट सक्षम न्यायालय से इमदाद प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04 जुलाई 2022 को बहाल रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय को पालना हेतु निर्णय भिजवाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(जितेन्द्र कुमार सोनी)
9/11/24
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला-पाली